Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 103–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 21, 2020 (ASADHA 30, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 जुलाई, 2020

संख्या 58/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी–2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी–2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019, में,–

(i) तृतीय परंतुक में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी;

''सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	करदाता, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर– 3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
2.	करदाता, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 5 जुलाई, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 9 जुलाई, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है

		मई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 15 सितंबर, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 25 सितंबर, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है

(ii) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

''परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन किसी कर अवधि के लिए भुगतानयोग्य विलंब शुल्क की कुल राशि, जो दो सौ पचास रुपये से अधिक है उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजित की जाएगी, जिन्होंने नियत तिथि तक मास जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, लेकिन उन द्वारा उक्त विवरणी प्रथम जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई है:

परंतु यह और कि जहां उक्त विवरणी में भुगतानयोग्य राज्य कर की राशि शून्य है, तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की कुल राशि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजित की जाएगी, जिन्होंने नियत तिथि तक मास जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, लेकिन उन द्वारा उक्त विवरणी प्रथम जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई हैं।''।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st July, 2020

No. 58/GST-2.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.12/GST-2, dated the 1st January, 2019, namely:–

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 12/GST–2, dated the 1st January, 2019,–

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: –

"Table

Serial Number	**Class of registered persons**	**Tax period**	**Condition**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020